अनाधिकृत निर्माणों के शमन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ

उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 644/आठ–3–21–234विविध/2017 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2021 के द्वारा शमन योजना–2020 की अवधि दिनांक 20/01/2021 को समाप्त हो जाने के दृष्टिगत शमन उपविधि–2010 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के द्वारा अपने विकास क्षेत्रान्तर्गत बने अनाधिकृत निर्माणों को शमन उपविधि–2010 के प्राविधानों के अर्न्तगत शमन करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत बने अनाधिकृत निर्माणों को शमन उपविधि–2010 के प्राविधानों के अर्न्तगत शमन हेतु नोटिस देने तथा शमन मानचित्र स्वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने के निर्देश उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा दिये गये हैं। अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत निर्माण न करें तथा पूर्व में किये गये अनाधिकृत निर्माणों का शमन तत्काल करा लें। शमन न कराने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

प्रवर्तन अनुभाग में तैनात अधिकारियों/अभियंताओं को निर्देश दिये गये हैं कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कोई भी निर्माण मानचित्र स्वीकृति के बगैर/विपरीत न हो। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई अनाधिकृत निर्माण प्रारम्भ होता है, तो प्रारम्भिक चरण में ही उसके विरूद्ध तत्काल नियमानुसार एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।